

तारीख हुक्म

उजवान सरकार बनाम सुनील राम राव
राम

नंबर व ता
अहकाम
हुक्म की
में जारी हुआ

मुकदमा नं० 133/18 निर्णय दि०.....

12/8

पत्रावली नं० 12/18
वैतनिक 22/18
को पेश है

22/8 कमील के खिलाफ अपील का समर्थन
जारी है 28/8 को फैसला
3

28/8/19

पत्रावली नं० 12/18 कमील उम्मत पक्ष इपारटि
पत्रावली पर कमील उम्मत पक्ष से कहसु खुनी
गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार
पर जायगी गण का अर्थना फा धारा 136
एत आर एमट स्पीकार किम जाँन योग्य है
अतः जायगी का अर्थना फा 136 एत आर,
एमट स्पीकार किम जाँन है ~~स्पीकार~~ तथा
भारतीय एन. 1928/515 एवम एन. 1926/
1927/515 काँ रमा कहरावठा तक्षित ⁵⁸
में वर्तमान राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में सुनिता देवी पालि
केलाश चन्द के स्थान पर सुनिता देवी पालि
केलाश चन्द को हल करने के आदेश तहसिलदार
सिकरम का दिने जाके है पत्रावली फेराल डीकर
नरम से कम है। निर्णय नैरे द्वारा लिखाया
जा रहा। सुनै न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/19
अधिकारी
मिला-दोसा